

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 1(2)ग्रामीण/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक: 1 MAY 2010
१०

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कुशल एवं अद्वृकुशल
श्रमिकों के नियोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुशल एवं अद्वृकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रु. 100/- से
अधिक का प्रावधान नहीं होने के संबंध में जानकारी दी गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 के बिन्दु संख्या-9 में स्पष्ट प्रावधान है कि “कार्यक्रम के
अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अन्तर्गत कुशल और
अद्वृकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं
होगी”। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में रु. 100/- की अधिकतम
श्रमिक दर अकुशल श्रमिकों के लिए ही लागू होती है। कुशल एवं अद्वृकुशल श्रमिकों को मजदूरी
दर का भुगतान जिले की दर अनुसूची के अनुरूप किया जा सकता है एवं इन श्रमिकों पर होने
वाले व्यय को सामग्री मद में शामिल किया जाएगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही संपादित करावें।

भवदीय,

३०८/८५१००

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

३०८/८५१००

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस